महेश कुमार गुप्ता,
आई0ए0एस0,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

अत्यन्त महत्वपूर्ण /व्यवस्थापन–2013–14
कार्यालय 2642999 निवास 2622073
अर्द्ध शासकीय पत्रांकः **17792-866**/दस–ला0–367/सुझाव आबकारी नीति/2013–14
दिनांकः इलाहाबाद : **28 फरवरी,** 2013

प्रिय महोदय,

आबकारी अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 **402 ई–2/तेरह–2013–32/2013** दिनांक 28–02–2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 की आबकारी नीति की घोषणा की गयी है। उक्त शासनादेश की छायाप्रति **संलग्नक–1** के रुप में संलग्न है।

उपरोक्त शासनादेश में अन्य बिन्दुओं के साथ–साथ देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों, माडल शाप्स, विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स तथा भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के बारे में विस्तृत व्यवस्था दी गयी है। देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की दुकानों के व्यवस्थापन एवं मदिरा की आपूर्ति आदि के सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेश में दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत रहेगें। कृपया उपरोक्त व्यवस्थाओं का विस्तृत गहन अध्ययन करते हुए आगामी **वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये** अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों, माडल शाप्स, विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स तथा भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त शासनादेशों के क्रम में कार्यवाही करते समय कृपया निम्न व्यवस्थाओं/निर्देशों तथा समय सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित करें :–

1. **देशी शराब का थोक/फुटकर विक्रय मूल्य :–**

देशी शराब के अधिकतम थोक / फुटकर विक्रय मूल्य वर्ष 2013–14 के लिए निम्नानुसार है:–

देशी शराब–(25 प्रतिशत वी/वी में)
अधिकतम थोक/ फुटकर विक्रय मूल्य रुपये में (वर्ष 2013–14 के लिये)

कमांक	धारिता (मि0ली0 में)	200
1	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	21.52
2	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	25

देशी शराब–(28 प्रतिशत वी/वी में)
अधिकतम थोक/ फुटकर विक्रय मूल्य रुपये में (वर्ष 2013–14 के लिये)

क्रमांक	धारिता (मि0ली0 में)	750	375	200	100
1	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	129.69	66.87	36.59	19.86
2	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	160	80	45	25

देशी शराब– (36 प्रतिशत वी/वी में)
अधिकतम थोक/ फुटकर विक्रय मूल्य रुपये में (वर्ष 2013–14 के लिये)

क्रमांक	धारिता (मि0ली0 में)	750	375	200	100
1	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	163.81	83.93	45.69	24.41
2	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	200	105	55	30

देशी शराब– मसालेदार (42.8 प्रतिशत वी/वी में)
अधिकतम थोक/ फुटकर विक्रय मूल्य रुपये में (वर्ष 2013–14 के लिये)

क्रमांक	धारिता (मि0ली0 में)	750	375	200	180	100
1	अधिकतम थोक विक्रय मूल्य	192.81	98.43	53.42	48.19	28.28
2	अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य	235	120	65	60	35

2. **दुकानों की संख्या में वृद्धि** :– वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए देशी शराब व विदेशी मदिरा की दुकानों तथा माडल शाप की वर्तमान संख्या में 15 प्रतिशत तथा बीयर की वर्तमान दुकानों की संख्या में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि आबकारी आयुक्त के स्तर से की जा सकती है। इससे अधिक की वृद्धि की आवश्यकता होने पर शासन की अनुमति से दुकानों का सृजन किया जायेगा।

3. **देशी/विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों तथा माडल शाप का व्यवस्थापन** :–

1) वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विशिष्ट मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) के जनपदों की वर्तमान समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन ''**नवीनीकरण**'' के माध्यम से किया जायेगा तथा वर्ष 2012–13 के अनुज्ञापी को वर्ष 2013–14 हेतु नवसृजित दुकानों के लिये निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना होगा। इस हेतु एकान्तिक विशेषाधिकार के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र आयुक्तालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

2) वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु विशिष्ट मेरठ जोन के अलावा शेष आगरा, वाराणसी, गोरखपुर एवं लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) जोन के जनपदों की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन ''**नवीनीकरण**'' के माध्यम से किया जायेगा। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं हो पायेगा उनका तथा नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु आवेदन पत्र जनपद स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

3) नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करते हुये दुकानों का नवीनीकरण किया जायेगा तथा दुकान के नवीनीकरण की सूचना संबंधित अनुज्ञापी को निर्धारित तिथि तक दी जायेगी।

4) देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों के वर्तमान एम0जी0क्यू0 (36% v/v) में वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये 6% की वृद्धि की गई है। इस निर्धारित वृद्धि के अनुसार जनपद के वार्षिक एम0जी0क्यू0 में वृद्धि कर जिला आबकारी अधिकारी वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु आबकारी नीति के अनुसार देशी मदिरा की दुकानों का वार्षिक एम0जी0क्यू0 निर्धारित करेंगे। इस प्रकार निर्धारित एम0जी0क्यू0 में वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए निर्धारित प्रति बल्क लीटर बेसिक लाइसेंस फीस रू0 23/– से गुणा करके दुकान की वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस आगणित की जायेगी जो नियमानुसार देय होगी। वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस के 1/10 धनराशि के बराबर धरोहर राशि आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में देनी होगी। वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) की दर रू0 184/–प्रति बल्क लीटर की दर से एम0जी0क्यू0 में गुणा करके दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) आगणित की जायेगी, जो नियमानुसार अदा करनी होगी। वार्षिक लाइसेंस फीस के 1/10 धनराशि के बराबर प्रतिभूति धनराशि भी नियमानुसार जमा करनी होगी।

5) वित्तीय वर्ष 2013–14 में 25% v/v तीव्रता की एक नई श्रेणी की देशी मदिरा का प्रचलन किया गया हैं। इस विशेष श्रेणी की मदिरा की एम.आर.पी. रु0 25 प्रति पौवा (200एम.एल.) निर्धारित की गयी है। इस श्रेणी की देशी मदिरा का उठान दुकान के निर्धारित मासिक एम.जी.क्यू. के अतिरिक्त अनुमन्य होगा। यह मदिरा देशी शराब दुकान के मासिक एम.जी.क्यू. के 10 प्रतिशत की सीमा के अन्तर्गत बल्क लीटर में संदर्भगत माह के अंदर ही उठायी जा सकेगी। उक्त मात्रा बल्क लीटर में निर्धारित मासिक एम0जी0क्यू0 का बल्क लीटर में ही 10 प्रतिशत होगी तथा 36 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की मदिरा को 25 प्रतिशत में समानुपातिक रुप से परिवर्तित कर उसका 10 प्रतिशत नहीं होगी। इस विशेष श्रेणी की देशी मदिरा के उठान में निहित प्रतिफल शुल्क की धनराशि का समायोजन उक्त दुकान की लाइसेंस फीस के सापेक्ष नहीं किया जायेगा।

6) विदेशी मदिरा दुकान की वर्ष 2012–13 हेतु व्यवस्थित वार्षिक लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्वि तथा इस वृद्वि के आधार पर आगणित लाइसेंस फीस को अगले स्तर पर 5000 रु0 में राउण्ड आफ करके उक्त विदेशी मदिरा दुकान की वर्ष 2013–14 हेतु लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। लाइसेंस फीस की 1/10 भाग के बराबर (न्यूनतम रु0 5000) धरोहर धनराशि आवेदन के समय एवं निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (न्यूनतम रु0 5000) नवीनीकरण/चयन के बाद नियमानुसार जमा करनी होगी।

7) बीयर दुकान की वर्ष 2012–13 हेतु व्यवस्थित वार्षिक लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत की वृद्वि तथा इस वृद्वि के आधार पर आगणित लाइसेंस फीस को अगले स्तर पर 5000 रु0 में राउण्ड आफ करके उक्त बीयर दुकान की वर्ष 2013–14 हेतु लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। लाइसेंस फीस की 1/10 भाग के बराबर (न्यूनतम रु0 5000) धरोहर धनराशि आवेदन के समय एवं निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (न्यूनतम रु0 5000) नवीनीकरण/चयन के बाद नियमानुसार जमा करनी होगी।

8) **लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान समय से न करने पर कार्यवाही :–** लाटरी द्वारा अथवा नवीनीकरण द्वारा लाइसेंसधारी के रुप में चयनित आवेदक/अनुज्ञापी यदि नियमानुसार विहित अवधि में लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन/नवीनीकरण निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि यदि उसके द्वारा जमा की गई हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

9) वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों के आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस 7,000 रू0 प्रति आवेदन पत्र एवं माडल शाप्स के लिए प्रोसेसिंग फीस प्रति आवेदन रू0 8,000/– निर्धारित की गयी है। इस प्रोसेसिंग फीस पर नियमानुसार वैट व अन्य कर भी अतिरिक्त रुप से देय होंगे।

10) देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों एवं माडल शाप्स के लिये वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु नवीनीकरण फीस की दर प्रति दुकान रुपये में निम्नवत निर्धारित की गई है:–

क सं0	निकाय	देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	बीयर	माडल शाप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिये**	**40,000**	**50,000**	**45,000**	**50,000**
2	**नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिये**	**35,000**	**40,000**	**35,000**	**40,000**
3	**नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिये**	**25,000**	**25,000**	**22,000**	**25,000**
4	**ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिये**	**15,000**	**15,000**	**11,000**	**15,000**

11) वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए निकाय वार नवसृजित देशी शराब की फुटकर बिकी की दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस के निर्धारण हेतु न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) एवं नवसृजित विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिकी की दुकान की न्यूनतम लाइसेंस फीस निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

निकाय	वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (36 प्रतिशत वी/वी) बल्क लीटर में	वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए निर्धारित विदेशी मदिरा दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस (रु0 में)	वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए निर्धारित बीयर दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस (रु0 में)
नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	21000	7,40,000	1,85,000

नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	15000	2,50,000	95,000
नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	9000	1,15,000	50,000
ग्रामीण	5000	60,000	45,000

12) वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए माडल शाप्स की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निधारित की गयी है :–

निकाय	लाइसेंस फीस (रू0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रू0 में)
1. नगर निगमों एवं नोएडा के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	30.00 लाख	3.00 लाख
2. अन्य स्थानों पर स्थित माडल शाप्स के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी सहित)	11 लाख रूपये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की तत्समय निर्धारित/व्यवस्थित सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, परन्तु यह फीस 30 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी ।	1.50 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त माडल शाप्स पर मदिरापान की सुविधा अनुमन्य करने की फीस रु0 1,00,000 वर्ष या वर्ष के भाग के लिये निर्धारित है।

4. **विदेशी मदिरा के "प्रीमियम रिटेल वैण्डस" :–**

वर्ष 2013–14 हेतु शापिंग माल/मल्टीप्लैक्स में उपभोक्ताओं को विदेशी मदिरा क्रय करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से विदेशी मदिरा के "प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स" का सृजन एवं व्यवस्थापन अनुमन्य किया गया है। इन प्रीमियम रिटेल वैण्ड्स को निम्नवत सृजित एवं व्यवस्थापित किया जायेगा :–

1) यह वैण्ड सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ऐसे कामर्शियल काम्पलैक्स जिनमें दुकानें, फूडकोर्ट एवं मल्टीप्लैक्स हों, तथा जिनके परिसर में ही पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था हो तथा जिन्हें सामान्य बोल–चाल की भाषा में शापिंग मॉल कहा जाता है, में दिया जा सकेगा।
2) प्रीमियम रिटेल वैण्डस के लिये कम से कम 300 वर्ग फीट कार्पेट एरिया आवश्यक होगा, जो कि माल की सामान्य रुप से निर्मित दुकान में होगा एवं क्योस्क (Kiosk) /अस्थाई ढांचे (Temoprary Structure) में नहीं होगा।
3) इन दुकानों से "रेगुलर" श्रेणी एवं उससे ऊपर के ब्राण्डों की भारत निर्मित तथा अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा, भारत निर्मित एवं अन्य देशों से आयातित बीयर /पैक्ड ड्राट बीयर/पोर्टर/साइडर/ऐंल/वाइन/एल0ए0बी0 की बिकी की जा सकेगी। प्रीमियम रिटेल वैण्डस से बीयर की बिकी केवल कैन में अनुमन्य होगी। इनके अलावा इन वैण्डों से "रेगुलर" श्रेणी से निम्न श्रेणी की विदेशी मदिरा अथवा देशी शराब, भॉग, अन्य मादक पदार्थो तथा किसी अन्य पदार्थ की बिकी अनुमन्य नहीं होगी।
4) बीयर/मदिरा के विक्रय की डिस्पेंसिंग मशीन भी अनुमन्य होगी।

5) प्रीमियम रिटेल वैण्डस का अनुज्ञापन शुल्क रुपये 20.00 लाख प्रति अनुज्ञापन वार्षिक तथा प्रतिभूति धनराशि रुपये 2.00 लाख होगी।

6) प्रीमियम रिटेल वैण्डस के आवेदन हेतु धरोहर धनराशि रुपये 2.00 लाख प्रति आवेदन होगी।

7) प्रीमियम रिटेल वैण्डस के आवेदन हेतु निर्धारित प्रारुप में आवेदन करने के लिये प्रोसेसिंग फीस रुपये 8,000 प्रति आवेदन होगी। प्रोसेसिंग फीस पर तत्समय निर्धारित दर पर वैट तथा नियमानुसार देय अन्य करों की वसूली भी अतिरिक्त रुप से की जायेगी।

8) इन वैण्डस हेतु प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर जोनों में आवेदक भारत का नागरिक, पंजीकृत फर्म (भागीदारी/प्रोपराइटरी), पंजीकृत कम्पनी हो सकती है। विशिष्ट जोन मेरठ में इन अनुज्ञापनों के लिये जोन का विदेशी मदिरा का अनुज्ञापी ही आवेदन कर सकेगा।

9) प्रीमियम रिटेल वैण्डस की प्रास्थिति उ0प्र0 आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली 1968 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

10) कोई आवेदक जिसके पास प्रीमियम रिटेल बैण्डस के संचालन हेतु उपरोक्तानुसार परिसर की व्यवस्था होगी, वह परिसर की व्यवस्था हेतु उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों यथा परिसर के स्वामी का सहमति पत्र/आफर, किरायानामा अथवा स्वंय के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, के साथ संबंधित जिले के जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी को निर्धारित प्रारुप में उपरोक्तानुसार धरोहर धनराशि किसी शिडयूल्ड बैंक के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के साथ आवेदन करेगा।

11) आवेदक का चयन अनुज्ञापी के रुप में हो जाने पर यदि आवेदक द्वारा प्रीमियम रिटेल वैण्डस हेतु निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि जमा करके निर्धारित समयान्तर्गत अनुज्ञापन प्राप्त नहीं किया जाता है, तो उसका चयन निरस्त कर धरोहर धनराशि एवं अन्य जमा सम्पूर्ण धनराशि राज्यसात कर ली जायेगी।

12) आवेदक का चयन अनुज्ञापी के रुप में हो जाने पर उक्त धरोहर धनराशि का समायोजन प्रीमियम रिटेल वैण्डस की लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि के रुप में किया जा सकता है।

13) जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी आवेदन पत्र पर यथावश्यक परीक्षण कराकर उक्त प्रीमियम रिटेल वैण्डस के सृजन हेतु आबकारी आयुक्त,उ0प्र0 को प्रस्ताव प्रेषित करेगा।

14) उक्त प्रीमियम रिटेल वैण्डस वर्ष के मध्य में कभी भी सृजित किये जा सकते है, तथा इनके सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को होगा।

15) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 से प्रीमियम रिटेल वैण्डस के नवसृजन की स्वीकृति प्राप्त होने पर जिलाधिकारी/ लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि जमा कराकर आवेदक के पक्ष में तत्काल लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा।

16) यह अनुज्ञापन वाराणसी, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर जोनों में आरम्भ में एक वर्ष के लिये प्रदान किये जायेंगे तथा अनुवर्ती वर्षो में अधिकतम 04 वर्षो तक सम्बन्धित वर्ष के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित देयताओं की अनुज्ञापी द्वारा अदायगी के लिये तत्पर होने की दशा में शासन की शर्तो के अधीन प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत कराये जा सकेंगे।

17) विशेष जोन मेरठ में विशेष जोन की विदेशी मदिरा की फुटकर बिकी की दुकानों के अनुज्ञापी को इन प्रीमियम वैण्ड का अनुज्ञापन दिया जायेगा।

5. धरोहर धनराशि की वापसी :–

मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका सं0 1374(टैक्स)/2006 राम नाथ मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स के सार्वजनिक लाटरी से व्यवस्थापन के लिए प्राप्त धरोहर धनराशि के ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 36190–36260/दस–लाइसेंस–367/खण्ड–2/ आबकारी नीति/2008–09 दिनांक 15–12–07 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। साथ ही बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी हेतु प्रारुप पत्र निर्धारित करके प्रेषित किया गया हैं। उक्त पत्र द्वारा जारी प्रारुप पत्र के अनुसार ही बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी सुनिश्चित करायी जाय।

6. **भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–**

1. भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
2. भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्तानुसार जनपद स्तर पर किया जायेगा।

7. **विभिन्न अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक का निस्तारण :–**

वित्तीय वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर जनपदों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31–03–2013 को बिक्री अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञापी द्वारा अवशेष स्टाक की ब्राण्ड वार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01–04–2013 को दोपहर 12.00 बजे तक की जायेगी तथा इस अवशेष स्टाक की सूचना जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 05–04–2013 तक आयुक्तालय को उपलब्ध करायी जायेगी। वर्ष 2012–13 की अवशेष देशी मदिरा की बिक्री वर्ष 2013–14 में किसी भी दशा में नहीं की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर विक्रय की दुकानों तथा एफ0एल0–2/2बी/2डी पर अवशेष विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन इत्यादि के अवशेष स्टाक का निस्तारण निम्नवत् किया जायेगा :–

1. जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2013–14 हेतु करा लिया जाता है, उन ब्राण्डों पर प्रतिफल फीस की धनराशि तदनुसार आगणित करने पर यदि प्रतिफल फीस में वृद्धि होती है तो अन्तर की धनराशि जमा करायी जायेगी तथा उक्त स्टाक पर डिफरेन्सियल होलोग्राम एवं नई एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।
2. जिन ब्राण्डों का पंजीकरण वर्ष 2013–14 हेतु नहीं कराया जाता है, उन ब्राण्डों की प्रतिफल फीस/एम0आर0पी0 उनकी वर्ष 2012–13 के लिये घोषित ई0डी0पी0 पर वर्ष 2013–14 के नये सूत्र के अनुसार निर्धारित की जायेगी। ऐसी स्थिति में अवशेष स्टाक का निस्तारण निम्नवत् किया जायेगा।

2.1 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 दोनों में वृद्धि होती है, तो प्रतिफल फीस के अन्तर की धनराशि जमा कराकर उक्त स्टाक पर डिफरेन्सियल होलोग्राम एवं नई एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

2.2 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस में वृद्धि होती है किन्तु एम0आर0पी0 में वृद्धि नहीं होती है, तो प्रतिफल फीस के अन्तर की धनराशि जमा कराकर तथा अन्तर की धनराशि के समतुल्य एम0आर0पी0 में वृद्धि करके उक्त स्टाक पर डिफरेन्सियल होलोग्राम एवं नई एम0आर0पी0 के स्टिकर चस्पा कराकर विक्रय किया जायेगा।

2.3 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस में कमी होती है किन्तु एम0आर0पी0 में वृद्धि होती है, तो वर्ष 2012–13 की एम0आर0पी0 पर ही बिक्री की जायेगी।

2.4 उपरोक्तानुसार प्रतिफल फीस का आगणन करने पर यदि प्रतिफल फीस एवं एम0आर0पी0 दोनों में कमी होती है तो वर्ष 2012–13 की एम0आर0पी0 पर ही बिक्री की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अवशेष स्टाक के निस्तारण की अन्य व्यवस्था आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के निर्देशानुसार की जायेगी।

8. **देशी/विदेशी मदिरा/बीयर/भांग की नयी फुटकर दुकानों तथा नयी माडल शाप का सृजन :–**

वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिये देशी/विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा माडल शाप्स के नवसृजन का विवरण **संलग्नक–2** पर है।

9. **भांग की फुटकर दुकानों के लिये जनपदवार निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा :–**

वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों की भांग की फुटकर दुकानों के लिये जनपदवार निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का विवरण **संलग्नक–3** पर है।

10. **ताड़ी की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन एवं अमिकर :–**

वित्तीय वर्ष 2013–14 में ताड़ी की अनुज्ञापनों की "ट्री–टैक्स/सरचार्ज प्रणाली व्यवस्था" वित्तीय वर्ष 2012–13 की भॉति यथावत रहेगी।

11. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य जनपद स्तरीय अनुज्ञापनों यथा एफ0एल0–6 समिश्र/एफ0एल0–6 (क) समिश्र/एफ0एल0–7/ एफ0एल0–7बी/एफ0एल0–16/17 इत्यादि अनुज्ञापनों का भी नियमानुसार नवीनीकरण/व्यवस्थापन समयान्तर्गत कराया जाय।

12. **देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्रों का वितरण एवं सार्वजनिक लाटरी निकाले जाने की प्रकिया :–**

वाराणसी, आगरा, गोरखपुर एवं लखनऊ जोन (बरेली प्रभार को छोड़कर) की वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु नवीनीकरण से अवशेष तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु नवसृजित दुकानों के लिए देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन आवेदन पत्र प्राप्त कर सार्वजनिक लाटरी प्रणाली द्वारा किया जायेगा। किसी दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सार्वजनिक लाटरी प्रकिया के सम्बन्ध में निर्देश निम्न प्रकार है :–

a) दुकानों के व्यवस्थापन हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स के आवेदकों के लिए आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित एवं निर्गत आवेदन पत्र आवेदकों को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, उप आबकारी आयुक्त प्रभार कार्यालय, संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन कार्यालय एवं आबकारी आयुक्त कार्यालय से रु0 7000/– (माडल शाप के लिए रु0 8000/–) प्रोसेसिंग फीस के रूप में नकद धनराशि के भुगतान पर उपलब्ध हो सकेंगे। इस धनराशि पर समय–समय पर देय वैट एवं अन्य कर भी अतिरिक्त रुप से वसूल किया जायेगा, जिसे संबंधित जिला आबकारी अधिकारी/अन्य अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग के संबंधित लेखाशीर्षक में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। वर्ष 2013–14 में आवदेन पत्र आबकारी आयुक्त कार्यालय में भी जमा हो सकेंगे। आबकारी आयुक्त, कार्यालय में ऐसे आवेदन पत्रों को जमा होने की अन्तिम तिथि से एक दिन पूर्व तक ही जमा किया जा सकेगा। ऐसे आवेदन पत्रों को सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। विभाग द्वारा नियमानुसार निर्गत आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति का नाम व पता आवेदन पत्र पर तथा आवेदन पत्र के काउन्टर फाइल पर अंकित किया जायेगा, जिससे आवेदन पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही उस आवेदन पत्र का उपयोग कर सके। आवेदन पत्र के प्रतिपर्ण एवं आवेदन पत्र के मध्य परफोरेशन बिन्दुओं पर दाहिनी ओर बने ब्लाक में जिला आबकारी अधिकारी अथवा आवेदन पत्र निर्गत करने हेतु अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस प्रकार मुहर लगाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिससे मुहर व हस्ताक्षर प्रतिपर्ण एवं आवेदन पत्र दोनों पर आंशिक रूप से आ जाये।

b) आवेदन पत्र निर्गत करने के साथ ही निर्गतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदक को देशी शराब की दुकानों हेतु दुकानवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि का दुकानवार पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जाये। विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों तथा माडल शाप्स हेतु लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि का दुकानवार पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जाये। उपरोक्तानुसार सूचनाओं सहित जनपद की समस्त दुकानों के विवरण के पैम्फलेट/हैण्डबिल व शपथ–पत्र के प्रारूप पहले से ही तैयार करके रख लिये जायें तथा आवेदन पत्रों के वितरण के समय ही आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायें।

c) आवेदन पत्र जमा किये जाते समय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत कर्मचारी द्वारा पहले आवेदन पत्रों की जॉच कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे गये हैं एवं उसके साथ आवश्यक संलग्नक (ड्राफ्ट शपथ–पत्र, पहचान हेतु प्रमाण आदि)लगे हुए हैं। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र की जॉच के पश्चात् सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा इसका अंकन कमवार आवेदन पत्र प्राप्ति रजिस्टर में किया जायेगा और प्राप्ति रजिस्टर का क्रमांक आवेदन पत्र एवं प्राप्ति रसीद पर अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात् आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करके कार्यालय की मुहर लगायी जायेगी एवं उसे आवेदन पत्र से फाड़कर आवेदन पत्र जमाकर्ता को रसीद स्वरूप दे दिया जायेगा। यह प्राप्ति रसीद ही लाटरी के आयोजन स्थल पर प्रवेश हेतु गेट पास के रूप में प्रयुक्त की जा सकेगी व आवेदकों द्वारा यह प्राप्ति रसीद दिखाकर लाटरी आयोजन स्थल में प्रवेश किया जा सकेगा।

d) आवेदनकर्ता किसी दुकान के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र या पते के सत्यापन हेतु (1) पासपोर्ट (2) ड्राइविंग लाइसेंस (3) आयकर पहचान पत्र (4) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक (5) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि (6) सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी अ0जा0/अ0ज0जा0/अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (7)पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशनबुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण पत्र/वृद्वावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश। (8) रेलवे पहचान पत्र (9) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र (10) शस्त्र लाइसेंस (11) शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र। (12) मतदाता पहचान पत्र में से किसी एक प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेगा।

e) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को दुकानवार छॉटकर उनकी अलग–अलग सूची तैयार की जायेगी व उन्हें दुकानवार तैयार की गयी पत्रावली में अनुरक्षित किया जायेगा। उचित होगा कि प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग फाइल कवर बना लिये जायें व उस दुकान हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को उन्हीं फाइलों में संरक्षित किया जाये।

f) जिन दुकानों हेतु केवल एक आवेदन पत्र ही प्राप्त होता है, उन्हें आवेदक के पक्ष में व्यवस्थित किये जाने हेतु जिला लाइसेंसिंग समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

g) जिन दुकानों हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हों, उनके लिए सार्वजनिक लाटरी निर्धारित तिथि को निकाली जायेगी। लाटरी हेतु जिस विशिष्ट दुकान को लिया जाये उसके लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूची के अनुसार अंकित क्रमांक, नाम व अन्य विवरण सहित लाटरी हाल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाये और उनका संक्षिप्त विवरण यथा दुकान का नाम, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस व प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या आदि सार्वजनिक रूप से माइक पर उद्घोषित की जाय तथा उक्त दुकान के आवेदकों को सभा कक्ष में आगे आने का अवसर दिया जाये ताकि वे लाटरी सम्बन्धी समस्त कार्यवाही को भली–भॉति देख सकें व लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही सभागार/पण्डाल में कुछ ऊँचाई पर मंच बनाकर इस प्रकार सम्पादित की जाये कि सभागार/पण्डाल में उपस्थित सभी व्यक्ति, लाटरी की कार्यवाही को भली भॉति देख सकें।

h) सार्वजनिक लाटरी निकाले जाने की कार्यवाही कलेक्ट्रेट सभागार अथवा समुचित क्षमता के किसी अन्य सभागार में की जा सकती है। यदि उपयुक्त क्षमता का कोई सभागार अथवा उचित स्थान उपलब्ध न हो तो विशिष्ट परिस्थितियों में पण्डाल लगाकर यह कार्य किया जाये।

i) सार्वजनिक लाटरी से पूर्व दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमों व निर्देशों को पढ़कर सार्वजनिक रूप से सुनाया जाये व सभी आवेदकों को मदिरा की दुकानों के संचालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिन्दुओं से अवगत करा दिया जाये।

j) मदिरा की दुकानों के व्यवस्थान हेतु सार्वजनिक लाटरी सम्बन्धी समस्त कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित लाइसेंसिंग समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। सार्वजनिक लाटरी की समस्त कार्यवाही इस

समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति व देख–रेख में की जायेगी। जिलाधिकारी इस कार्य में समिति के सहायतार्थ अपने विवेकानुसार उप जिलाधिकारियों अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारियों को लगा सकते हैं।

k) सार्वजनिक लाटरी के स्थल पर समस्त आवेदकों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये व इस बात का पूर्ण प्रयास किये जाये कि लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही उस दुकान हेतु आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों की उपस्थिति में ही सम्पन्न हो, ताकि आवेदकों व जन सामान्य का लाटरी प्रकिया की निष्पक्षता व पारदर्शिता के सम्बन्ध में पूर्ण विश्वास रहे व किसी प्रकार की अनियमितता न हो सके।

l) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का लाटरी की पर्ची वाला भाग, जिस पर आवेदक का नाम व पता अंकित होगा एवं दुकान का नाम भी अंकित होगा, को लाटरी निकालने में प्रयोग किया जायेगा। इस प्रकार लाटरी के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली पर्चियॉ उतनी ही होंगी जितने प्रार्थना पत्र उस दुकान के लिए प्राप्त हुए हैं।

m) जिस दुकान हेतु लाटरी निकाली जानी है, उसके लिये प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की तैयार की गयी सूची से पंजीयन संख्या के अनुसार दुकान के लिए प्राप्त कुल आवेदन–पत्रों की लाटरी हेतु पर्चियों को अलग करके आवेदकों के नाम व उनकी पंजीयन संख्या को उच्चारित करते हुए उन्हें क्रमशः विधिवत मोड़कर सार्वजनिक रूप से दिखाकर लाटरी के लिए निर्धारित किये गये पारदर्शी पात्र में इस प्रकार डाल दिया जायेगा, कि आवेदक आश्वस्त हो सकें कि सभी आवेदकों की पर्चियॉ पात्र में पड़ गयी हैं। पात्र में पर्चियॉ डाले जाने से पूर्व उक्त पात्र को उल्टा करके सभी व्यक्तियों को दिखाया जायेगा ताकि वे आश्वस्त हो सकें कि पात्र में पहले से कोई पर्ची नहीं पड़ी है। यह पात्र मंच पर इस प्रकार रखा जायेगा कि सभागार/पण्डाल में उपस्थित सभी व्यक्ति, विशेषकर उस दुकान के आवेदक भली–भॉति देख सकें।

n) जिलाधिकारी सभी आवेदकों की पर्चियों को पात्र में डालकर उसे पहले भली प्रकार मिला लेंगे तत्पश्चात् किसी व्यक्ति से एक पर्ची निकलवा लेंगे। जिस पंजीयन संख्या की पर्ची निकलेगी, उसे सार्वजनिक रूप से दिखाये जाने के पश्चात् उसी पंजीयन संख्या के आवेदनकर्ता के नाम दुकान आवंटित की जायेगी। एक ही व्यक्ति से बार–बार लाटरी की पर्चियां न निकलवायी जाय।

o) लाटरी में चयनित व्यक्ति की लाटरी की पर्ची पर समिति के सदस्यों व पर्यवेक्षक (यदि कोई हो) के हस्ताक्षर के उपरान्त जी–14 पंजिका में दुकान का नाम अंकित कर उसके सामने उस लाटरी की पर्ची को चस्पा कर दिया जाये व पंजिका पर चयनित व्यक्ति के हस्ताक्षर भी कराये जायें।

p) जिस व्यक्ति को दुकान आवंटित की जाय, उसको मौके पर ही इस आशय का एक पत्र भी निर्गत किया जाये, कि अमुक दुकान की लाटरी उसके नाम से निकली है। साथ ही लाइसेंस फीस, बेसिक लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि जमा करने के लिए उसे निर्देशित कर दिया जाय। पत्र में सफल आवेदक को दस दिन के अन्दर दुकान की चौहद्दी व अन्य विवरण भी प्रस्तुत करने के लिए लिखित रूप से निर्देशित कर दिया जाय। पत्र में स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया जाये कि यदि लाटरी में सफल आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर अपेक्षित धनराशि जमा नहीं की जाती तो उसकी दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में राज्यसात कर ली जायेगी।

q) सार्वजनिक लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण निष्पक्षता व पारदर्शिता बरती जाये।

r) विज्ञापन एवं सार्वजनिक लाटरी की समस्त व्यवस्थाओं में पूर्ण मितव्ययिता बरती जाये।

s) दुकानों के आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में करेक्टिंग फ्लूड का प्रयोग न किया जाय। यदि किसी संख्या/शब्द को परिवर्तित करना अपरिहार्य हो तो एक लाइन से काटकर परिवर्तित किया जाये तथा आवेदन कर्ता द्वारा कटिंग को प्रमाणित किया जाय। करेक्टिंग फ्लूड लगे आवेदन पत्रों पर आवंटन हेतु विचार न किया जाये।

t) विदेशी मदिरा के उपभोग आगणन के सम्बन्ध में योजित पुनरीक्षण याचिका संख्या 30/2005 विवेक चौहान बनाम आबकारी आयुक्त व अन्य में शासन के निर्णय के अनुसार 4 पौवे जिसमें मात्र 720 एम0 एल0 होते हैं, को 750 एम0एल0 की बोतल न माना जाये अपितु 750 एम0एल0 होने पर ही एक बोतल की गणना करके एम0डी0ओ0 में तदनुसार सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये।

u) देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडल शाप, विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल वैण्डस एवं भांग की व्यवस्थापन की प्राख्यापित नियमावलियों में निहित प्राविधानानुसार समय से जी–12 ग व छः 12(क) विवरण पत्र भेजना सुनिश्चित किया जाये।

v) वर्ष 2012–13 के अवशेष लाटरी फार्मो का प्रयोग यथावश्यक संशोधनों के साथ वर्ष 2013–14 हेतु भी किया जायेगा।

w) वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु लाइसेंस फीस एवं सिक्योरिटी आदि के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि समय से जमा करायी जाय तथा उसका सत्यापन जनपद के कोषागार से सामयिक रूप से कराया जाय।

13. <u>समय सारिणी :–</u>

1. **विशिष्ट मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के व्यवस्थापन हेतु समय सारिणी :–**

कमांक	विवरण	तिथि
1(i)	वर्ष 2013–14 हेतु आबकारी नीति में दिये गये निर्देशानुसार देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप्स (नवसृजित दुकानों सहित) की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि, धरोहर धनराशि एवं नवीनीकरण शुल्क का विवरण तैयार किया जाना।	02.03.2013
(ii)	अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त के समक्ष फुटकर बिक्री की दुकानों (नवसृजित दुकानों सहित) के संचालन संबंधी एकान्तिक विशेषाधिकार के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	11.03.2013 को 15.00 बजे तक
(iii)	एकान्तिक विशेषाधिकार का नवीनीकरण	11.03.2013 को 17.00 बजे तक
(iv)	जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा वर्तमान दुकानों के नवीनीकरण तथा नवसृजित दुकानों के लाइसेंस स्वीकृति की अंतिम तिथि	18.03.2013 को 17.00 बजे

2. **विशिष्ट मेरठ जोन के अलावा शेष आगरा, वाराणसी, गोरखपुर एवं लखनऊ जोन (बरेली प्रभार को छोड़कर) फुटकर बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन की समय सारिणी :–**

कमांक	प्रथम चरण	तिथि
1	(i)वर्ष 2013–14 हेतु आबकारी नीति में दिये गये निर्देशानुसार वार्षिक व्यवस्थित व तद आधारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि में वृद्वि कर देशी शराब की दुकानों की प्रास्थिति, वार्षिक व्यवस्थित (तद आधारित) न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (निर्धारित वृद्वि के साथ) बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, नवीनीकरण फीस व प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना। (ii) उपरोक्तानुसार ही विदेशी मदिरा तथा बीयर की दुकानों व माडल शाप्स की लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि एवं नवीनीकरण फीस का विवरण तैयार किया जाना। (iii) उपरोक्त समस्त दुकानों के नवीनीकरण हेतु **आवेदन पत्रों का वितरण दिनांक 05.03.2013 से दिनांक 11.03.2013 को अपरान्ह 13.00 बजे तक** करने के संबंध में एवं भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन	02.03.2013

	(iv) **नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि**	**11.03.2013 को 16.00 बजे तक**
	(v) **जिलाधिकारी द्वारा नवीनीकरण आवेदन पत्रों पर हस्ताक्षर करते हुये दुकानों के नवीनीकरण करने की अंतिम तिथि**	**11.03.2013 को 18.00 बजे तक**
	द्वितीय चरण	
2(i)	उपरोक्तानुसार नवीनीकरण के पश्चात अवशेष देशी /विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स तथा देशी शराब/विदेशी मदिरा, बीयर की नवसृजित दुकानों एवं नवसृजित माडल शाप्स के लिए वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/ निर्धारित लाइसेंस फीस पर व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी प्रक्रिया से आवेदन पत्र मांग कर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के संबंध में देशी शराब के प्रकरण में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, तद आधारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स के संबंध में लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि को अंकित करते हुए आवेदन पत्र मांगने एवं लाटरी हेतु **आवेदन पत्रों का वितरण दिनांक 12.03.2013 से प्रारम्भ कर दिनांक 16–03–2013 को अपरान्ह 14.00 बजे तक** करने एवं उसी दिन सायं 17.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन।	**11.03.2013**
(ii)	आवेदन पत्रों का वितरण	**12.03.2013 से 16.03.2013 को 14.00 बजे तक**
(iii)	**आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि**	**16.03.2013 को 17.00 बजे तक**
(iv)	आवेदन पत्रों का परीक्षण	**17.03.2013 से 18.03.2013 तक**
(v)	सार्वजनिक लाटरी	**19.03.2013 को 11.00 बजे से**
	तृतीय चरण	
3(i)	उक्त प्रक्रिया के पश्चात अवशेष रही देशी शराब की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2012–13 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. पर आधारित बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स की वर्ष 2012–13 की लाइसेंस फीस पर आफर मांगकर व्यवस्थापन हेतु विज्ञप्ति	**19.03.2013**
(ii)	आवेदन पत्रों का वितरण।	**20.03.2013 से 23.03.2013 को 14.00 बजे तक**
(iii)	**आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि**	**23.03.2013 को 17.00 बजे तक**
(iv)	आवदेन पत्रों का परीक्षण	**24.03.2013**
(v)	आफर के आधार पर अनुज्ञापी का चयन/सार्वजनिक लाटरी	**25.03.2013 11.00 बजे से**
(vi)	तृतीय चरण के पश्चात् यदि दुकानें व्यवस्थित होने से शेष रह जाती है तो जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी स्वविवेक से तिथि निर्धारित कर नियमानुसार व्यवस्थापन करायेंगे।	———
(vii)	दैनिक आधार पर दिनांक 01–04–2013 से दुकानों के व्यवस्थापन की कार्यवाही	**30.03.2013**

3. भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु समय सारिणी:–

क्रमांक	विवरण	तिथि
1.	प्रदेश की समस्त भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी	15.03.2013
2.	प्रथम नीलामी के बाद यदि दुकानें व्यवस्थित होने से शेष रह जाती है तो जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी स्वविवेक से तिथि निर्धारित कर नियमानुसार व्यवस्थापन करायेंगे	

4. विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल बैण्डस हेतु समय सारिणी:–

क्रमांक	विवरण	तिथि
1.	विदेशी मदिरा के प्रीमियम रिटेल बैण्डस के वर्ष 2013–14 के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वर्ष पर्यन्त उक्त अनुज्ञापन स्वीकृत किये जायेंगे।	वर्ष पर्यन्त

नोट:– 1–यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत सम्पादित किये जायेंगे।

2–उपरोक्त विज्ञप्ति तथा वर्ष 2013–14 की आबकारी नीति का विस्तृत विवरण विभागीय वेवसाइट www.upexcise.in पर देखा जा सकता है।

आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सम्पन्न होगी व प्रदेश के आबकारी राजस्व में आशातीत वृद्धि हो सकेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवन्निष्ठ,

(महेश कुमार गुप्ता)

(नाम से)
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 17867–885 /दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2013–14/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त संलग्नकों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(महेश कुमार गुप्ता)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 17886–18045 /दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2013–14/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त संलग्नकों के साथ सूचनार्थ एवं निम्न निर्देशों के साथ अनुपालनार्थ प्रेषित :–

1. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि कृपया अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में अपने कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में इस पत्र में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पूरा करायें।
2. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार एवं समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे कृपया अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में अपने कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में इस पत्र में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पूरा करायें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करा लें कि देशी शराब के एम0जी0क्यू0 व विदेशी मदिरा, बीयर एवं माडल शाप के अनुज्ञापन फीस के आगणन नियमानुसार सही तरीके से हो जाये ताकि किसी प्रकार की राजस्व क्षति न होने पाये।
3. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन)/प्रभारी अधिकारी, आसवनियॉ/प्रभारी अधिकारी, बाण्ड धारक इकाइयॉ/सहायक आबकारी आयुक्त, स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स (एस0एस0एफ0), उ0प्र0 को संबधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि कृपया अपने से संबंधित बिन्दुओं पर प्रभावी एवं समयवद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि संलग्न शासनादेश में वर्णित व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस हेतु यथावश्यक सुसंगत नियमावलियों में समय–सीमा के अन्तर्गत संशोधन सुनिश्चित करायें।
5. वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कराना सुनिश्चित करें तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिये विभिन्न जनपदीय/प्रभार/जोन के संदर्भ में विभिन्न लक्ष्य निर्धारित करायें।
6. गार्ड फाइल, लाइसेंस अनुभाग।

(महेश कुमार गुप्ता)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संलग्नक-2

वर्ष 2013–14 के लिए देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर एवं भांग की फुटकर तथा माडल शाप्स के नवसृजित दुकानों का विवरण

कमांक	जनपद का नाम	देशी शराब	विदेशी मदिरा	बियर	माडल शाप्स	भांग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	वाराणसी	0	9	11	0	2
2	चन्दौली	0	11	13	0	0
3	गाजीपुर	0	0	3	0	0
4	जौनपुर	0	0	0	0	0
	वाराणसी प्रभार	**0**	**20**	**27**	**0**	**2**
5	इलाहाबाद	0	18	13	0	6
6	कौशाम्बी	0	1	3	0	0
7	फतेहपुर	0	4	5	0	0
8	प्रतापगढ	0	3	3	0	0
	इलाहाबाद प्रभार	**0**	**26**	**24**	**0**	**6**
9	मिर्जापुर	0	2	4	0	0
10	सोनभद्र	0	0	0	0	0
11	सन्त रविदास नगर	0	2	0	0	0
	मिर्जापुर प्रभार	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**
	वाराणसी जोन	**0**	**50**	**55**	**0**	**8**
12	आजमगढ	0	7	3	0	0
13	बलिया	7	2	3	0	0
14	मऊ	0	0	0	0	0
	आजमगढ़ प्रभार	**7**	**9**	**6**	**0**	**0**
15	गोरखपुर	0	8	8	0	0
16	देवरिया	0	15	6	0	0
17	महराजगंज	0	5	6	0	0
18	कुशीनगर	0	4	5	0	0
	गोरखपुर प्रभार	**0**	**32**	**25**	**0**	**0**
19	बस्ती	0	5	5	0	0
20	सिद्धार्थनगर	0	2	2	0	0
21	सन्त कबीर नगर	0	3	1	0	0
	बस्ती प्रभार	**0**	**10**	**8**	**0**	**0**
	गोरखपुर जोन	**7**	**51**	**39**	**0**	**0**
22	लखनऊ	0	0	0	0	0
23	हरदोई	0	0	0	0	0
24	खीरी	1	7	8	0	0
25	रायबरेली	1	5	7	1	8
26	सीतापुर	0	0	0	0	0
27	उन्नाव	2	6	0	0	9
	लखनऊ प्रभार	**4**	**18**	**15**	**1**	**17**

कमांक	जनपद का नाम	देशी शराब	विदेशी मदिरा	बियर	माडल शाप्स	भांग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	फैजाबाद	0	0	0	0	0
29	सुलतानपुर	1	2	1	0	20
30	बाराबंकी	0	0	0	0	0
31	अम्बेडकरनगर	1	2	2	0	9
32	अमेठी	3	6	2	0	0
	फैजाबाद प्रभार	**5**	**10**	**5**	**0**	**29**
33	गोण्डा	0	0	0	0	0
34	वहराइच	0	0	0	0	0
35	बलरामपुर	0	0	0	0	4
36	श्रावस्ती	0	0	2	0	0
	देवीपाटन प्रभार	**0**	**0**	**2**	**0**	**4**
	लखनऊ जोन	**9**	**28**	**22**	**1**	**50**
37	मेरठ	1	1	1	0	3
38	बागपत	0	0	0	0	0
39	बुलन्दशहर	3	4	8	0	0
40	गाजियाबाद	1	5	19	0	0
41	हापुड़ (पंचशीलनगर)	5	3	9	0	0
42	गौतमबुद्धनगर	14	14	3	0	0
	मेरठ प्रभार	**24**	**27**	**40**	**0**	**3**
43	मुरादाबाद	10	0	6	0	0
44	सम्भल (भीमनगर)	0	0	0	0	0
45	अमरोहा (जे0पी0नगर)	0	1	7	0	0
46	रामपुर	0	0	0	0	0
47	बिजनौर	1	2	0	0	0
	मुरादाबाद प्रभार	**11**	**3**	**13**	**0**	**0**
48	सहारनपुर	4	2	2	0	0
49	मुजफफरनगर	8	2	1	0	0
50	शामली (प्रबुद्धनगर)	1	1	5	0	0
	सहारनपुर प्रभार	**13**	**5**	**8**	**0**	**0**
51	बरेली	17	1	1	0	5
52	बदायूं	8	3	1	0	0
53	पीलीभीत	12	0	0	0	0
54	शाहजहांपुर	3	2	0	0	0
	बरेली प्रभार	**40**	**6**	**2**	**0**	**5**
	मेरठ जोन	**88**	**41**	**63**	**0**	**8**
55	आगरा	0	0	0	0	0
56	फिरोजाबाद	0	0	0	0	0
57	मथुरा	0	5	5	0	9
58	मैनपुरी	0	3	2	0	0

क्रमांक	जनपद का नाम	देशी शराब	विदेशी मदिरा	बियर	माडल शाप्स	भांग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	आगरा प्रभार	**0**	**8**	**7**	**0**	**9**
59	अलीगढ़	0	0	2	0	0
60	हाथरस (महामायानगर)	0	0	0	0	0
61	एटा	0	3	5	0	0
62	कासगंज (काशीरामनगर)	0	0	0	0	0
	अलीगढ़ प्रभार	**0**	**3**	**7**	**0**	**0**
63	कानपुर नगर	10	40	12	2	0
64	कानपुर देहात (रमाबाईनगर)	0	0	0	0	0
65	इटावा	0	0	0	0	0
66	औरैया	0	0	0	0	0
67	फर्रूखाबाद	0	1	1	0	0
68	कन्नौज	0	0	0	0	0
	कानपुर प्रभार	**10**	**41**	**13**	**2**	**0**
69	झांसी	0	1	0	0	0
70	जालौन	0	4	2	0	0
71	ललितपुर	0	0	0	0	0
	झांसी प्रभार	**0**	**5**	**2**	**0**	**0**
72	बांदा	0	0	0	0	0
73	चित्रकूट	0	0	3	0	0
74	हमीरपुर	0	0	0	0	0
75	महोबा	0	0	0	0	0
	चित्रकूटधाम प्रभार	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**
	आगरा जोन	**10**	**57**	**32**	**2**	**9**
	प्रदेश योग	**114**	**227**	**211**	**3**	**75**

नोट : नवसृजन हेतु प्रेषित प्रस्तावों में उल्लिखित प्रास्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

28.2.13

(महेश कुमार गुप्ता)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संलग्नक-3

वर्ष 2013–14 हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित फुटकर भांग दुकानों के लिए जनपदवार निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का विवरण :–

कमांक	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा	कमांक	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा
1	2	3	4	5	6
1	वाराणसी	41720	39	बुलन्दशहर	4060
2	चन्दौली	6354	40	गाजियाबाद	3660
3	गाजीपुर	4520	41	हापुड़	0
4	जौनपुर	6100	42	गौतमबुद्धनगर	1000
5	इलाहाबाद	22063	43	मुरादाबाद	2016
6	कौशाम्बी	6200	44	सॅम्भल	1650
7	फतेहपुर	15600	45	अमरोहा	388
8	प्रतापगढ़	4285	46	रामपुर	0
9	मिर्जापुर	14000	47	बिजनौर	1110
10	सोनभद्र	15210	48	सहारनपुर	1740
11	सन्त रविदास नगर	4800	49	मुजफ्फर नगर	2350
12	आजमगढ़	2540	50	शामली	2300
13	बलिया	1200	51	बरेली	5060
14	मऊ	1325	52	बदायूँ	1050
15	गोरखपुर	4300	53	पीलीभीत	2340
16	देवरिया	322	54	शाहजहांपुर	4500
17	महराजगंज	460	55	आगरा	28430
18	कुशीनगर	278	56	फिरोजाबाद	5150
19	बस्ती	930	57	मथुरा	45696
20	सिद्धार्थनगर	354	58	मैनपुरी	2340
21	सन्त कबीर नगर	183	59	अलीगढ़	5731
22	लखनऊ	13500	60	हाथरस	5750
23	हरदोई	13690	61	एटा	1736
24	खीरी	7880	62	काशीराम नगर	2160
25	रायबरेली	70400	63	कानपुर नगर	46000
26	सीतापुर	10500	64	कानपुर देहात	3216
27	उन्नाव	16780	65	इटावा	3150
28	फैजाबाद	3288	66	औरैया	3251
29	बाराबंकी	1400	67	फर्रूखाबाद	2832
30	सुल्तानपुर	3040	68	कन्नौज	1590
31	अम्बेडकर नगर	2220	69	झांसी	11200
32	अमेठी	2547	70	जालौन	3300
33	गोण्डा	3384	71	ललितपुर	2760
34	बहराइच	1330	72	बांदा	4400
35	बलरामपुर	1736	73	चित्रकूट	1800
36	श्रावस्ती	360	74	हमीरपुर	4300
37	मेरठ	5770	75	महोबा	2450
38	बागपत	1586		**प्रदेश योग**	**532621**

नोटः–जनपद रामपुर एवं हापुड़ में भांग के अनुज्ञापन न होने के कारण एम0जी0क्यू0 शून्य है।

28.2.13

(महेश कुमार गुप्ता)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश